

**कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता,**

(शासकीय स्वशासी संस्था)

**श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)**

कार्यालय दूरभाष नं. : 07662-241655

ई-मेल : ssmc-rewa@mp.gov.in

फैक्स नं. : 07662-251167

वेबसाइट : www.ssmcrewa.com

क्रमांक/ 3323 /पैरामेडि./एम.सी./2022

रीवा, दिनांक : 2/2/22

**पैरामेडिकल पाठ्यक्रम शैक्षणिक सत्र 2021-22 में प्रवेश हेतु विज्ञापन**

स्वशासी श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा में शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिये विभिन्न स्ववित्तपोषित पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों के संचालन के लिए रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद् के आदेश पृ. क्र./F-56(1)/कालेज/A21G0026/312 /2022, भोपाल, दिनांक 03.02.2022 द्वारा अनुमति प्राप्त होने के उपरांत में पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु निम्नानुसार आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं :-

**I. पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु महत्वपूर्ण तिथियां :-**

आवेदन प्रारम्भ की तिथि	07 फरवरी, 2022
आवेदन की अंतिम तिथि	21 फरवरी 2022 को सायं 05:00 बजे तक
काउंसिलिंग एवं प्रवेश की तिथि	24 एवं 25 फरवरी, 2022
काउंसिलिंग स्थल	लेक्चर हॉल-1, एनाटामी विभाग, चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

**II. पाठ्यक्रम एवं उपलब्ध सीटों का विवरण :-**

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	डिग्री/डिप्लोमा/प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
1	MASTER IN MEDICAL LAB. TECHNICIAN (HAEMOTO.)	POST GRADUATE	05
2	MASTER IN MEDICAL LAB. TECHNICIAN (HISTOPA.)	POST GRADUATE	05
3	BACHELOR IN MEDICAL LAB TECHNICIAN	DEGREE	30
4	BACHELOR IN X-RAY (RADIOGRAPHER) TECHNICIAN	DEGREE	15
5	ANESTHESIA TECHNICIAN	DIPLOMA	20
6	MICROBIOLOGY	DIPLOMA	20
7	PARAMEDICAL OPHTHALMIC ASSISTANT	DIPLOMA	15
8	P.G. DIPLOMA IN PERFUSION TECHNOLOGY	DIPLOMA	15
9	CATH LAB. TECHNICIAN	DIPLOMA	15
10	X-RAY (RADIOGRAPHER) TECHNICIAN	DIPLOMA	25
11	DIALYSIS TECHNICIAN	DIPLOMA	20
12	C.T.M.R.I. TECHNICIAN	CERTIFICATE	10
13	ORTHO. TECHNICIAN	CERTIFICATE	20
14	E.C.G. TECHNICIAN	CERTIFICATE	20
15	RESPIRATORY TECHNICIAN	CERTIFICATE	10

- इस सूची में नए पाठ्यक्रम जोड़ने या हटाने तथा सीटों की संख्या में संशोधन के लिए संस्थान के पास अधिकार है।
- सीटों का आरक्षण/आवंटन म.प्र. शासन के नियमानुसार होगा।
- प्रत्येक वर्ग में क्षैतिज रूप से 33 प्रतिशत सीट महिला अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित होगी।
- दिव्यांग प्रवर्ग - ऐसे दिव्यांग अभ्यर्थी, जो म.प्र. के मूल निवासी हैं, उनके लिए शासन के नियमानुसार संबंधित संवर्ग में 3% सीटें आरक्षित रहेंगी। यह आरक्षण क्षैतिज होगा।
- शासकीय सेवारत विभागीय कर्मचारियों हेतु प्रत्येक पाठ्यक्रम में कुल सीटों की 10 प्रतिशत सीटें आरक्षित रहेंगी।

## III. प्रशिक्षण हेतु शैक्षणिक शुल्क का विवरण :-

पाठ्यक्रम	शैक्षणिक शुल्क (सत्र 2021-22 हेतु )	रिमार्क
POST GRADUATE	1,38,060/- (रु. 1,33,060/- शैक्षणिक शुल्क + रु. 5,000/- सुरक्षा निधि)	आगामी शैक्षणिक सत्र हेतु म.प्र. सह-चिकित्सीय परिषद् भोपाल द्वारा निर्धारित शैक्षणिक शुल्क देय होगा
DEGREE	79,520/- (रु. 74,520/- शैक्षणिक शुल्क + रु. 5,000/- सुरक्षा निधि)	
DIPLOMA	52,910/- (रु. 47,910/- शैक्षणिक शुल्क + रु. 5,000/- सुरक्षा निधि)	
CERTIFICATE	39,604/- (रु. 34,604/- शैक्षणिक शुल्क + रु. 5,000/- सुरक्षा निधि)	-

## IV. शैक्षणिक योग्यता :-

- For admission in MASTER IN MEDICAL LAB. TECHNICIAN (HAEMOTO. & HISTOPA.) candidate should have passed full time regular Bachelor's in Medical Laboratory Technology (BMLT) from any recognized university with minimum 50% aggregate. In case of SC/ST/OBC students the relaxation of the eligibility percentage for the admission will be as per the Madhyapradesh state Government rules.
- For Diploma in Perfusion Technology (perfusionist 2 years course) The candidate shall have passed B. Sc. ( BIOLOGY group) with minimum 45% marks, The University will award P G Diploma in perfusion technology . In case of SC/ST/OBC candidates, 5% marks relaxation will be given for the admission in above said courses.
- The candidate must have passed 10+2 with at least 40% marks in aggregate of Physics Chemistry and Biology ( P C B ) for Diploma/Certificate Courses. In case of SC/ST/OBC candidates, 5% marks relaxation will be given for the admission in above said courses.

## V. अन्य नियम एवं शर्तें :-

- आवेदन शुल्क :-** आवेदक को आवेदन पत्र के साथ आवेदन शुल्क के रूप में अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी को रु. 500/- तथा आरक्षित वर्ग (SC/ST/OBC/EWS) के अभ्यर्थी को रु. 300/- का बैंक ड्राफ्ट जो कि "CEO & Dean, S. S. Medical College, Rewa" के नाम देय हो जमा करना होगा। बिना आवेदन शुल्क के प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा।
- आवेदन पत्र सीधे अथवा स्पीड पोस्ट डाक के माध्यम से कार्यालय अधिष्ठाता, श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा में दिनांक 21.02.2022 को सायं 05 बजे तक जमा किये जा सकेंगे। निर्धारित अन्तिम तिथि के पश्चात जमा किये गये आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा।
- आवेदक की आयु 31 दिसम्बर 2021 को 17 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
- पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु महिलाओं एवं निःशक्तजनों को आरक्षण का लाभ म.प्र. शासन के नियमानुसार दिनांक 05 जुलाई 2017 को प्रकाशित म.प्र. राजपत्र (असाधारण) के अनुसार देय होगा।
- आरक्षित वर्ग के आवेदकों को काउंसिलिंग के समय सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- आवेदक को म.प्र. का मूल निवासी होना चाहिए। काउंसिलिंग के समय सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त निवास प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- काउंसिलिंग में उपस्थित होने के लिये किसी भी प्रकार का दैनिक भत्ता/यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

8. आवेदक को काउंसिलिंग में उपस्थिति होने के लिये रु. 5000/- (पांच हजार) का बैंक ड्राफ्ट जो कि "CEO & Dean, S. S. Medical College, Rewa" के नाम देय हो जमा करना अनिवार्य होगा। ड्राफ्ट के अभाव में आवेदक काउंसिलिंग प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेगा। सीट आवंटित ना होने की स्थिति में ड्राफ्ट उम्मीदवारों को वापस कर दिया जावेगा। सीट आवंटन के पश्चात शेष शैक्षणिक शुल्क 07 दिवस के अंदर ड्राफ्ट/चालान के माध्यम से जमा करनी होगी ऐसा न होने की स्थिति में उनका प्रवेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा तथा जमा की गई राशि रु. 5000/- (पांच हजार) वापस नहीं की जावेगी, जिसकी जिम्मेदारी पूर्ण रूप से आवेदक की होगी।
9. आवेदक को सभी पाठ्यक्रमों के लिये एक ही आवेदन-पत्र, जिसका प्रारूप संलग्न है में आवेदन जमा करना अनिवार्य होगा। निर्धारित आवेदन प्रारूप के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रारूप में आवेदन पत्र मान्य नहीं होगा।
10. पाठ्यक्रमों का आवंटन मेरिट के आधार पर किया जावेगा। मेरिट का निर्धारण निम्नानुसार किया जावेगा :-
- POST GRADUATE/PG DIPLOMA पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु मेरिट का निर्धारण स्नातक (B.Sc. (BZC)/BMLT) में प्राप्त अंकों आधार पर किया जावेगा।
  - अन्य डिग्री/डिप्लोमा/सर्टिफिकेट पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु मेरिट का निर्धारण हायर सेकण्ड्री (10+2) की परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जावेगा। अंक समान होने की स्थिति में उम्र में वरिष्ठ आवेदक को वरीयता दी जायेगी। यदि अंक एवं उम्र समान पायी जाती है तो वरीयता क्रम में जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान तथा भौतिक विज्ञान में अधिक अंक रखने वाले का वरीयता दी जाएगी।
11. स्वशासी श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय के अन्तर्गत पैरामेडिकल पाठ्यक्रम नियमित एवं पूर्णकालिक है। पैरामेडिकल पाठ्यक्रम में अध्ययन के दौरान किसी भी अन्य पाठ्यक्रम में अध्ययन करने की पात्रता नहीं होगी। इस आशय का शपथ-पत्र प्रवेश के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
12. विभागीय कर्मचारियों के लिये शासन के नियमानुसार 10% सीटें आरक्षित रहेंगी। विभागीय कर्मचारियों को अनापत्ति प्रमाण-पत्र केवल संचालक स्वास्थ्य सेवायें म.प्र. भोपाल/संबंधित संस्था के संस्था प्रमुख का ही मान्य होगा। विभागीय कर्मचारी न होने पर उक्त आरक्षित सीटें संबंधित वर्ग के पात्र आवेदकों से भरी जायेगी। विभागीय कर्मचारियों के लिये मेरिट का निर्धारण सेवा अवधि की गणना के आधार पर किया जावेगा।
13. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए म.प्र. राज्य के मूलनिवासी आवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी, सीट रिक्त होने की स्थिति में अन्य राज्य के आवेदकों को उनकी योग्यता/मेरिट लिस्ट के अनुसार श्रेणीवार प्रवेश दिया जाएगा। आरक्षण का लाभ केवल म.प्र. राज्य के मूल निवासी आवेदकों को ही दिया जाएगा।
14. निम्नलिखित अनुक्रम में श्रेणी के अनुसार मेरिट-कम-आशन के आधार पर काउंसिलिंग की जायेगी :-
1. विभागीय कर्मचारी
  2. एस.टी. श्रेणी
  3. एस.सी. श्रेणी
  4. ओ.बी.सी. श्रेणी
  5. अनारक्षित श्रेणी
- यदि किसी श्रेणी में आरक्षण की सीमा तक योग्य आवेदक उपलब्ध नहीं हैं, तो रिक्त सीटों को अन्य श्रेणियों में उपलब्ध कराकर भरा जाएगा, जैसा कि नीचे दिया गया है :-
- a) एस.टी. श्रेणी की खाली सीटों को एस.सी. श्रेणी के आवेदकों द्वारा भरा जाएगा।
  - b) एस.सी. श्रेणी की खाली सीटों को एस.टी. श्रेणी के आवेदकों द्वारा भरा जाएगा।
  - c) अगर एस.टी. और एस.सी. श्रेणी में आरक्षण के लिए योग्य आवेदक उपलब्ध नहीं है तो रिक्त सीटों को ओ.बी.सी. श्रेणी के आवेदकों द्वारा भरा जाएगा।
  - d) यदि पात्र आवेदक उपरोक्त तरीके से तीन आरक्षित श्रेणियों में ऊपर के चरणों में उपलब्ध नहीं हैं तो रिक्त सीटों को पात्र अनारक्षित श्रेणी के आवेदकों द्वारा भरा जाएगा।
15. जिस पाठ्यक्रम में 03 से कम छात्र प्रवेश लेते हैं, ऐसे पाठ्यक्रमों को संचालित कराना संभव नहीं होगा। ऐसे छात्र अपनी जमा शुल्क वापस ले सकते हैं अथवा अन्य पाठ्यक्रम के रिक्त सीट में मेरिट के आधार पर प्रवेश ले सकते हैं।

16. विज्ञप्ति सीटों की संख्या परिस्थितियों के अनुसार बढ़ाई/घटाई जा सकती है जिसका पूर्ण अधिकार संस्था को होगा।
17. न्यायालयीन परिवादों के निराकरण का कार्यक्षेत्र जिला न्यायालय रीवा होगा।
18. प्रवेश के समय स्थानान्तरण एवं माइग्रेशन प्रमाण-पत्र की मूल प्रति जमा करना अनिवार्य होगा। मूल स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र तथा माइग्रेशन प्रमाण-पत्र के अभाव में प्रवेश निरस्त कर दिया जावेगा। तथा काउंसिलिंग के समय जमा राशि रु. 5,000/- (पांच हजार) मात्र वापिस नहीं की जावेगी।
19. छात्रों को विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित परीक्षा शुल्क, नामांकन शुल्क एवं संस्था द्वारा निर्धारित सम्बद्धता शुल्क पृथक से देय होगा।
20. प्रवेश के समय आरक्षित वर्ग के आवेदकों को अभिभावक के आय प्रमाण-पत्र की मूल प्रति जो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी की गई हो जमा करना अनिवार्य होगा।
21. काउंसिलिंग दिनांक को समस्त उम्मीदवारों को प्रातः 10:00 बजे निम्न दस्तावेजों की मूलप्रति तथा 01 सेट स्वप्रमाणित छायाप्रति तथा 02 पासपोर्ट साइज फोटो (जो आवेदन पत्र में चस्पा की गई हो) लाना अनिवार्य होगा। किसी भी दस्तावेज की मूलप्रति न होने पर काउंसिलिंग प्रक्रिया से वंचित करने का अधिकार प्रवेश समिति का रहेगा, जिसकी जिम्मेदारी पूर्ण रूप से उम्मीदवार की होगी:-
  - I. 10वीं की अंकसूची (जन्मतिथि प्रमाण हेतु)
  - II. 12वीं की अंकसूची(भौतिकी, रसायन एवं जीव विज्ञान विषय के साथ)
  - III. स्नातक (बी.एस.सी./बी.एम.एल.टी.) की अंक सूची (पी.जी. डिप्लोमा/ POST GRADUATE हेतु)
  - IV. स्थानान्तरण प्रमाण पत्र
  - V. माइग्रेशन प्रमाण पत्र
  - VI. जाति प्रमाण पत्र (आरक्षित वर्ग हेतु)
  - VII. अन्य पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थियों को आय प्रमाण पत्र (वित्तीय वर्ष 2021-22 का )
  - VIII. ई.डब्ल्यू.एस. वर्ग अभ्यर्थियों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र।
  - IX. दिव्यांग प्रवर्ग के अभ्यर्थियों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र।
  - X. 02 पासपोर्ट साइज फोटो।
  - XI. विभागीय कर्मचारियों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र।

संलग्न :- आवेदन-पत्र का प्रारूप



मुख्यकार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता,  
स्वशासी श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

**पैरामेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु आवेदन पत्र (शैक्षणिक सत्र 2021-22)**

नवीनतम  
पासपोर्ट साइज  
फोटो चस्पा करें

प्रति,

मुख्यकार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता,  
स्वशासी श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

डिमाण्ड ड्राफ्ट क्रमांक	दिनांक	बैंक का नाम	राशि

- Name of Candidate in Capital Letter : .....  
आवेदक का नाम स्पष्ट अक्षरों में (हिन्दी में) : .....
- लिंग (पु./म.) : .....
- Category (श्रेणी) : (SC/ST/OBC/ UR/EWS).....
- Name of Father in Capital Letter : Shri .....  
पिता का नाम (हिन्दी में) : श्री .....
- Name of Mother in Capital Letter : Smt. ....  
माता का नाम (हिन्दी में) : श्रीमती .....
- जन्म तिथि (Date of Birth ) : अंको में - ..... (dd/mm/yyyy)  
शब्दों में - .....
- Permanent full address in capital letter : .....  
.....Pin Code : .....  
पूर्ण स्थाई पता (हिन्दी में) : .....  
..... पिन कोड : .....
- वर्तमान पता पिन कोड सहित : .....
- आवेदक का मोबाइल नम्बर : .....ई-मेल आई.डी. : .....
- आवेदक का आधार कार्ड नं. : .....समग्र आई.डी. : .....
- क्या आवेदक म.प्र. का मूल निवासी है? : ..... (हां/नहीं) यदि नहीं तो राज्य का नाम: .....
- क्या आवेदक शासकीय सेवारत कर्मचारी है?: .....(हां/नहीं), यदि हां तो नियमित सेवा अवधि का समय : .....
- शैक्षणिक योग्यता (Educational Qualification) :-

Exam Passed	Board/University	Roll No.	Passing Year	Subjects	Total Marks	Out of Marks	Percentage
1	2	3	4	5	6	7	8
12 <sup>th</sup>				Physics			
				Chemistry			
				Biology			
				Total (PCB)			
				Total (All Subject)			
B.Sc.(BZC)/ BMLT							

क्रमशः पेज.... 02

